न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—421/2016/223 (2016/00421)

1. रामदेव पुत्र गोकुल, जाति तैली, निवासी ग्राम मनोहरपुरा, तह0 सरवाड़, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. बद्री पुत्र गोकुल,
2. श्रवण पुत्र गोकुल,
3. सीता पुत्री गोकुल,
4. श्रीमती भूरी पत्नि छोटू,
5. सोभाग पुत्र छोटू,
6. दीपचंद पुत्र छोटू,
7. रेखा पुत्री छोटू,
8. राधा पुत्री छोटू,

सभी जाति तैली, निवासी ग्राम मनोहरपुरा, तह0 सरवाड़, जिला अजमेर ।

9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सरवाड़, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ दिनांक 6.6.2016 अंतर्गत वाद संख्या 62/2016.

उपस्थितः—

1. श्री आर0पी0शर्मा, वकील अपीलांट ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 8 अनुपस्थित ।
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 9.

निर्णय

दिनांकः— 28.7.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 6.6.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादीगण/रेस्पो0 ने प्रतिवादी/अपीलांट के विरूद्ध अधी0न्याया0 के समक्ष वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 92—2, 188 एवं 209 राज0काश्त0अधि0 के तहत विवादित भूमि खसरा नंबर 1245 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नंबर 1249 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नंबर 1280 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 1290 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 1298 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 1301 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 1426 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 1593 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 1276 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 1279 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 1514 रकबा 25 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 1282/01 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा एवं खसरा नंबर 1306/1741 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा स्थित ग्राम मनोहरपुरा के बाबत् वाद में

पारिवारिक सजरा दर्शाते हुए वाद की प्रार्थना के अनुसार वाद को डिक्री करने का निवेदन किया । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 6.6.2016 को वादीगण/प्रतिवादीगण का वाद डिक्री कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने अपीलांट को बिना विधिवत् नोटिस दिये एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो अविधिक एवं क्षेत्राधिकार विहिन होने से निरस्तनीय है। अधी0न्याया0 ने इस बात पर गोर नहीं किया कि अधी0न्याया0 ने वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को दिनांक 1.6.2016 कोदर्ज करते हुए प्रतिवादी को बिना नोटिस दिये एवं बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही दिनांक 6.6.2016 को कैम्प मनोहरपुरा में वाद को नियत कर बिना कानूनी प्रकिया अपनाये ही एकतरफा में वादी के वाद को निर्णित करने का आदेश प्रदान कर दिया जबकि कानून एवं विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि कोई भी वाद प्रस्तुत किया जाता है तो वाद का नोटिस प्रतिवादी को जारी किया जाकर जवाबदावा प्रस्तुत होने के पश्चात् तनकियात कायम की जाकर पक्षकारान की साक्ष्य ली जाकर ही वाद को निर्णित किया जाता है किन्तु अधी0न्याया0 ने बिना न्यायिक प्रकिया अपनाये एवं बिना वाद का परीक्षण कराये एकतरफा में निर्णय व डिक्री पारित किया है जो निरस्तनीय है । अपीलांट विवादित आराजियात का सहखातेदार काश्तकार होकर मौके पर काबिज काश्त चला आ रहा है जिसको बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित निर्णय प्राकृतिक एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 6.6.2016 को पारित करने से पूर्व प्रार्थी को कोई नोटिस नहीं दिया एवं बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा में निर्णय पारित किया है जिससे अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी निर्णय दिनांक को नहीं हो सकी थी । प्रार्थी को निर्णय व डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 4.9.2016 को गांव में पटवारी हल्का द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी देने पर हुई जिस पर प्रार्थी दिनांक 5.9.2016 को सरवाड़ गया एवं जानकारी करने पर निर्णय की पुष्टि होने पर निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए उसी दिन आवेदन पत्र पेश किया एवं निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर प्रार्थी ने अधिवक्ता से संपर्क कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है। अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 9 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद

अधिनियम में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब न्यायहित में क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । वादी/रेस्पो0 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष वाद दिनांक 1.6.2016 को पेश किये जाने पर अधी0न्याया0 ने वाद दर्ज रजिस्टर कर पत्रावली में आगामी दिनांक 6.6.2016 नियत की तत्पश्चात् दिनांक 6.6.2016 को पत्रावली अटल सेवा केन्द्र मनोहरपुरा में रखकर वादी/रेस्पो0 का वाद डिक्री किया गया है । अधी0न्याया0 द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर करने के उपरांत प्रतिवादी/ अपीलांट को नोटिस जारी करने के आदेश पारित करने संबंधी कोई आदेश अधी0न्याया0 की आदेशिका में नहीं है । अधी0न्याया0 की पत्रावली में रामदेव पुत्र गोकुल/प्रतिवादी को जारी नोटिस के अनुसार उक्त नोटिस रामदेव के पुत्र भैरूलाल को तामील कराया गया है किन्तु उक्त नोटिस में अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित होने की दिनांक अंकित नहीं है । अधी0न्याया0 की उपरोक्त कार्यवाही से प्रतीत होता है कि अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांट/प्रतिवादी को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुंचित अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपाण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 6.6.2016 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 28.7.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर